



**हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 07.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

**\*थाना- बरदह: मारपीट की सूचना पर गये पुलिस बल को घेरकर जानलेवा हमला कर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने व सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने वाले 17 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डंडा व ईट बरामद।\***

**\*पूर्व की घटना/इतिहास -\***

दिनांक 07.06.25 को व0उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 06.06.2025 को PRV 1043 पर समय करीब 23.15 बजे प्राप्त इवेन्ट सं0 29435 कालर राममिलन पुत्र रजई ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़ के सम्बन्ध में PRV द्वारा मौके पर ग्राम बर्गा पहुँचकर विवाद निस्तारण का प्रयास किया जा रहा था कि बर्गा ग्राम निवासी 1. शिवा राजभर पुत्र तीरथ 2. शुभम पुत्र शम्भू 3. विकाश पुत्र रामपलट 4. सूरज पुत्र मनकू 5. शिवमूरत पुत्र मनकू 6. संगम पुत्री मनकू 7. फूलमति पत्नी मनकू मिलकर करके पीआरवी की गाडी का मार्ग अवरुद्ध करते हुए, ईट पत्थर चला कर पीआरवी की गाडी को क्षतिग्रस्त कर दिये, पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष बरदह राजीव कुमार सिंह हमराह का0 वाल्मिकी निषाद , का0 अनिल सरोज , का0 राजेन्द्र कुशवाहा , का0 आशुतोष वर्मा मय सरकारी वाहन के व व0उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा, उ0नि0 संजय कुमार, का0 ललित सरोज , हे0का0 विद्याल यादव अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा गांव के फूल चन्द पुत्र मुनेश्वर , सर्वेश पुत्र सुदर्शन , लकी पुत्र चन्द्रेश , गौतम पुत्र सीताराम , आकाश पुत्र सुदर्शन , रिकू पुत्र जयराम , विपिन पुत्र वृजेश राजभर , चन्द्रेश पुत्र किशुन राजभर , रीतिक पुत्र वृजेश राजभर , राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर , विशाल पुत्र राम अवतार , मनोज पुत्र राम अवतार , शर्मिला पत्नी शिवमूरत , सीमा पत्नी मनोज , रीमा पत्नी शम्भू , कौशल्या पत्नी गोबरी , बुद्धू पुत्र श्री राजभर व अन्य 25-30 लोग एक राय होकर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस की गाडी पर ईट-पत्थर व लाठी डण्डे से हमला कर दिये जिससे गाडी क्षतिग्रस्त तथा थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के सिर व शरीर के अन्य भागों पर गम्भीर चोटें आयी है। जिनको उपचार हेतु हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। उ0नि0 संजय कुमार, हे0का0 विहंगल यादव , का0 ललित सरोज , का0 अनिल सरोज , का0 वाल्मिकी को भी गम्भीर चोटें आयी है। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/25 धारा 191(2),191(3),3(5),115(2),109,131,121(1),121(2),324(4) 126(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 3(2)(ड) सा0सं0 छति निवारण अधि0 बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-\***

दिनांक 07.06.25 को उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. फूल चन्द पुत्र मुनेश्वर 2. सर्वेश पुत्र सुदर्शन 3. लकी पुत्र चन्द्रेश समस्त निवासीगण ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़ 4. गौतम पुत्र सीताराम ग्राम महुआरा थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ 5. आकाश पुत्र सुदर्शन 6. सिंकू पुत्र जयराम 7. विपिन पुत्र वृजेश राजभर 8. चन्द्रेश पुत्र किशुन राजभर 9. रीतिक पुत्र वृजेश राजभर 10. राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर 11. विशाल पुत्र राम अवतार 12. मनोज पुत्र राम अवतार 13. शर्मिला पत्नी शिवमूरत 14. शिवमूरत पुत्र मनकू 15. संगम पुत्री मनकू 16. मनकू पुत्र सहबू 17. ऋषभ पुत्र अरविन्द समस्त निवासीगण ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़ को बर्गा चौराहे से 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. फूल चन्द पुत्र मुनेश्वर ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
2. सर्वेश पुत्र सुदर्शन ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
3. लकी पुत्र चन्द्रेश ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
4. गौतम पुत्र सीताराम ग्राम महुआरा थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़
5. आकाश पुत्र सुदर्शन ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
6. सिंकू पुत्र जयराम ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
7. विपिन पुत्र वृजेश राजभर ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
8. चन्द्रेश पुत्र किशुन राजभर ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
9. रीतिक पुत्र वृजेश राजभर ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
10. राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़

11. विशाल पुत्र राम अवतार ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
12. मनोज पुत्र राम अवतार ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
13. शर्मिला पत्नी शिवमूरत ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
14. शिवमूरत पुत्र मनकू ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
15. संगम पुत्री मनकू ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
16. मनकू पुत्र सहबू ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
17. ऋषभ पुत्र अरविन्द ग्राम बर्गा थाना बरदह , जनपद आजमगढ़

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. दो अदद डण्डा (अभि)गण मनोज व मनकू के निशानदेही पर)
2. एक बोरी में ईट के टुकड़े

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

1-मु0अ0सं0 161/25 धारा 191(2),191(3),3(5),115(2),109,131,121(1),121(2), 324(4),126(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 3(2)(ड) सा0सं0छति निवारण अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. उ0नि0 उमेश यादव थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 बडकू लाल थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
4. का0 राजित थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
5. का0 सतिभान थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
6. का0 त्रिलोक नाथ पाण्डेय थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
7. का0 संदीप यादव थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
8. का0 पवन कुमार भारती थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
9. म0आ0 प्रीती पटेल थाना बरदह , जनपद आजमगढ़
- 10 म0का0 आरती सिंह थाना बरदह , जनपद आजमगढ़



**01.थाना – रौनापार: चोरी गये मोबाइल व रूपये के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी प्रमोद पटेल पुत्र कैलाश पटेल निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक 23.08.2024 को खुद के अनुपस्थिति में अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी के घर का ताला तोड़कर घर में सोना चाँदी ,54000/-रु0 व मोबाईल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक

03.06.25 को मु0अ0स0 212/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त अंकित साहनी पुत्र जगदीश साहनी निवासी देवारा खास राजा (लाला का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे लाया गया।

### गिरफ्तारी का विवरण-

विवेचक/उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार सिंह हमराह फोर्स द्वारा आज दिनांक 07.06.25 को दौराने संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग करते हुए मुखबीर खास की सूचान पर निर्माणाधिन हाईवे से ग्राम चक्की हाजीपुर जाने वाले रास्ते पर से समय करीब 12.10 बजे अभियुक्त अंकित साहनी पुत्र जगदीश साहनी निवासी देवारा खास राजा (लाला का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से 01 अदद चोरी की मोबाईल इन्फिनक्स चोरी मे से बजे हुए 3100/- रुपये बरामद हुए जिसे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस की बढोतरी किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 212/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 212/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2.मु0अ0सं0 377/24 धारा 4/25आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अंकित साहनी पुत्र जगदीश साहनी निवासी देवारा खास राजा (लाला का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बरामदगी:-

01 अदद चोरी की मोबाईल इन्फिनक्स व चोरी के पैसे मे से बचे हुए 3100/- रुपये बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह थाना रौनापार आजमगढ़

2. हे0का0 रोहित कुमार सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

3. का0 जितेन्द्र प्रसाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

4. का0 शुभम वर्मा यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



### 02.थाना- फूलपुर: चोरी के रूपये व अवैध असलहा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 20-01-2025 को रमेश यादव ग्राम चक चरहा पोस्ट खुटौली, थाना कोतवाली फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा लिखित दिया गया कि दिनांक 11-01-2025 को जब विद्याल पहुंचा तो पाया कि विद्यालय का 10/11 की रात में

छत के रास्ते से विद्यालय के अन्दर दाखिल होकर अज्ञात चोर साइंस लैब फिजिक्स लैब, केमेस्ट्री लैब, बायोलाजी लैब एवं रूम नं० 13,14 का दरवाजा का ताला तोड़कर कुल ऊषा कम्पनी का 45 सीलिंग फैन चोर चुरा ले गये के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 35/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत है। विवेचना उ०नि० ओमप्रकाश यादव के द्वारा की रही है।

दिनांक 07-06-2025 को उ०नि० उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय हमराह के द्वारा दाखिला एक किता फर्द बरामदगी चोरी का कुल 8400/- रुपया नगद व एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर वं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्त से सम्बन्धित थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 286/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट शादाब पुत्र मसरूर ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष के पंजीकृत है। विवेचना उ०नि० श्री गौतम कुमार सरोज द्वारा की रही है।

गठित टीम- निल

### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 07-06-2025 को उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय हमराह के द्वारा जोखुगंज तिराहा से लगभग 200 मीटर पहले स्थित विद्युत डबल पोल के पास से अभियुक्त 1.शादाब पुत्र मसरूर ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2.विजय पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम गहनी जगदीशपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 3.अम्बेडकर पुत्र महेन्द्र प्रसाद ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 01.00 बजे रात्रि चोरी का कुल 8400/- रुपया नगद व एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर वं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार जुर्म धारा 305/331(4) /317(2) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम बता कर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.शादाब पुत्र मसरूर ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 2.विजय पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम गहनी जगदीशपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
- 3.अम्बेडकर पुत्र महेन्द्र प्रसाद ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

### बरामदगी का विवरण:-

1-चोरी का कुल 8400/- रुपया नगद व एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० -286/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास-

1.शादाब पुत्र मसरूर ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	310/23	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
2	76/2021	147/148/149/323/352/427/452/504/506 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
3	162/2004	354/323 भादवि व 3(1) 10 एससी /एसटी एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
4	193/2004	307/504 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
5	042/2005	325/323/504 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
6	353/2005	110 जी	फूलपुर	आजमगढ़
7	620/2005	379 भादवि	शाहगंज	जौनपुर
8	852/2006	3(1)यू०पी० गुण्डा एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
9	184/2008	379/411 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
10	608/2008	¼ गुण्डा एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
11	205/2016	323/504/506/308 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
12	215/2016	110 जी	फूलपुर	आजमगढ़
13	192/20	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
14	35/25 305/331(4) /317(2)	बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़
15	286/25	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव फूलपुर आजमगढ
- 2-हे0का0 अवधेश कुमार यादव फूलपुर आजमगढ
- 3- का0 आलोक सिंह फूलपुर आजमगढ
- 4-का0 शिवपाल सिंह फूलपुर आजमगढ
- 5- का0 ददन गोड़ फूलपुर आजमगढ



**03.थाना सरायमीर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.06.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर देकर बताया गया गया कि उसकी नाबालिक लड़की को

दिनांक 04.06.25 को रात करीब 10.00 बजे दो लड़को द्वारा मोटर साइकिल पर बैठाकर एक बगीचे में ले गये, जिसमे से एक लड़के निलेश कुमार पुत्र राजेश निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी तथा दूसरे ने उसका सहयोग किया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 249/25 धारा 137(2)/65(1)/3(5) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम 1 निलेश कुमार पुत्र स्व0 राजेश निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 2. अपचारी किशोर के पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.06.2025 को अभियोग में नामित अभियुक्त निलेश उपरोक्त व अपचारी किशोर को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 07.06.2025 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निलेश कुमार पुत्र स्व0 राजेश निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व 01 बाल अपचारी को घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल के साथ कड़छा मन्दिर के पास से समय करीब 11.50 बजे नियमानुसार पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. निलेश कुमार पुत्र स्व0 राजेश निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. अपचारी किशोर

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 249/25 धारा 137(2)/65(1)/3(5) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**बरादमगी-**

1. घटना में प्रयुक्त - हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अंकुर सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 संजू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



**04.थाना – गम्भीरपुर: आवेदक के साथ हुए साइबर फ्राड का कुल 45000 रूपया वापस कराया गया।**

**पूर्व की घटना:-**

दिनांक 22.04.2025 को आवेदक रामकृष्ण यादव पुत्र राधेश्याम यादव ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

के साथ फिलप कार्ड से पैसा वापस करने के नाम पर 45000 रूपये का आनलाईन साइबर फ्राड हुआ था। जिसपर आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन न0 1930 पर काल करके कम्पलेन न0 33104250048042 दर्ज कराया गया था। जिसपर साइबर टीम थाना गम्भीरपुर के उ0नि0 विपिन द्विवेदी व क0आ0 कुलदीप कुमार व कां0 शोएब कुमार द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर थाना की मदद से आवेदक के साथ हुए फ्राड का 45000 रूपये होल्ड कराया गया था। जिसको मा0न्यायालय से आदेश कराकर आवेदक के साथ हुए फ्राड का 45000/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

वापस कराया गया धनराशि- 45000/- रूपये (पैतालीस हजार रूपये)

**पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए कुलदीप कुमार गुप्ता कां0 शोएब कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

